अध्याय 19
अपराध और शास्तियां

धारा 122 : कतिपय अपराधों के लिए शास्ति

(1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो–

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है या ऐसी किसी पूर्ति के लिए गलत या मिथ्या बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण कर उसका सरकार को उस तारीख से जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे संदाय करने में असफल रहता है;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर का संग्रहण करता है किन्तु उस तारीख से, जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे की अवधि में संदाय करने में असफल रहता है;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में कटौती की गई रकम का संदाय करने में असफल रहता है;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर के संग्रहण में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन संग्रहण की अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण करता है या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में संगृहीत रकम का संदाय करने में असफल रहता है;

(vii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कपटपूर्ण तरीके से कर का प्रतिदाय प्राप्त करता है;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है;

(x) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर का अपवंचन करने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को झुठलाता है या बदलता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों को या किसी झूठी सूचना या विवरणी को प्रस्तुत करता है;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों के संबंध में गलत सूचना देता है;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को बाधित करता है या रोकता है;

(xiv) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के कवर के बिना किन्हीं कराधेय मालों का परिवहन करता है;

(xv) अपने आवर्त को छिपाता है जिसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन होता है;

(xvi) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों को तैयार करने, बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है;

(xvii) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता हैं;

(xviii) ऐसे किसी माल की पूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(xix) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग करके किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है;

(xx) किसी सारवान् साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या उसे नष्ट करता है;

(xxi) किसी ऐसे माल का व्ययन करता है या उससे छेड़छाड़ करता है जिसे इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध, जब्त या कुर्क किया गया है,

तो वह दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संगृहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या आगे किसी को दिए गए या कपटपूर्ण ढंग से दावा किए गए प्रतिदाय, इनमें जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

[1][**(1क)** कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।]

[2][**(1ख)** [3][कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है,] जो–

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिये अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति

---

1 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा उपधारा (1क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा उपधारा (1ख) अंतःस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा ''कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)। [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।]

अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिये पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रूपये या अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो।**]**

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है, जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से उसका प्रतिदाय लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या प्रयोग किया है,–

(क) कपट के कारण से भिन्न किसी कारण से या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत्, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) कपट के उद्देश्य से या किए गए किसी मिथ्या के कारण से या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को जानबूझकर छिपाता है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत् की शास्ति के लिए, जो भी उच्चतर हो, दायी होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो–

(क) उपधारा (1) के खंड **(i)** से खंड **(xxi)** में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन, उसे हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, उनकी पूर्ति करने या विक्रय करने में या किसी अन्य रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में वह यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या उसकी पूर्ति से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा की कोई पूर्ति करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु समन के जारी होने पर केन्द्रीय कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ड.) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा बहियों में बीजक के लिए हिसाब देने में असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।